न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या 118/2016
वाद दायरी दिनांक : 10/08/2016
निर्णय दिनांक : 25/04/2017

घीसी पत्नी तेजाराम, जाति माली, निवासी साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— वादीया

बनाम

1. लाली देवी पत्नी महराम, जाति जाट, निवासी ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. भूरीदेवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – ***श्री वीरेन्द्र सिंह खंगारोत***
श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीया

श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 25/04/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 8.14 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 8.14 हैक्टेयर वाके ग्राम हटुपुरा, पटवार हल्का बिंजोलाव तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है, उक्त आराजी में से 27.08.2010 को वादीया ने 2.54 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दी शेष 5.60 हैक्टेयर वादीया के पास रही। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश या त्रुटिवश नामान्तरकरण संख्या 60 भरा गया, जो दिनांक 16/11/2010 को तस्दीक

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

हुआ, जो सम्पूर्ण आराजीयात ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि विधि अनुसार केवल विक्रय की गयी आराजीयात ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। वादीया अपने शेष रही आराजीयात 5.60 हैक्टेयर पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है, परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है, जो सही नही है, वादीया ने जब कृषि ऋण हेतु दिनांक 01/08/2016 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। वादीया अपनी 5.60 हैक्टेयर आराजीयात की खातेदार घोषणा की अधिकारी हैं।

वादीया ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 8.14 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 8.14 हैक्टेयर वाके ग्राम हटुपुरा, तहसील दूदू में स्थित है, में से वादीया को 5.60 हैक्टेयर भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनाक 27/03/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 10/04/2017 को वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावें, जिसमें पक्षकारान को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, नकल प्रतिलिपी विक्रय–पत्र दिनांक 27/08/2010, जमाबन्दी संख्या 2067–2070, नकल नामान्तरकरण, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी मुताबिक विक्रय–पत्र दिनांक 27/8/2010 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

241 रकबा 8.14 हैक्टेयर में से 2.54 हैक्टेयर भूमि का बैचान वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर दिया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 16/11/2010 को भरा गया, जिसमें मुताबिक विक्रय–पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 2.54 हैक्टेयर आराजी नाम दर्ज न कर सम्पूर्ण 8.14 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज कर दी गयी, जबकि मुताबिक विक्रय–पत्र दिनांक 27/08/2010 के अनुसार मात्र 2.54 हैक्टेयर भूमि का ही बेचान किया गया था एवं शेष 5.60 हैक्टेयर भूमि वादीया के नाम यथावत रहनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर वादीया के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने बाबत सहमति दी है एवं किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई हैं। इसी प्रकार तहसीलदार दूदू से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत अनुशंषा की गयी हैं। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में कहा है श्रीमति भूरीदेवी की हिस्से की आराजी पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा साखून का रहन दर्ज है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि नामान्तरकरण भरते समय उक्त त्रुटि राजस्व कर्मियों द्वारा कारित की गयी है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीया का वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादीया का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 8.14 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 8.14 हैक्टेयर वाके ग्राम हटुपुरा, तहसील दूदू में से वादीया को 5.60 हैक्टेयर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा साखून से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राप्त किया गया ऋण, प्रतिवादी संख्या 2 की शेष रही भूमि पर भारित होगा। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/4/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..2

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू
श्री त्रिलोकचन्द मीना (R.A.S.)

...सी पत्नि तेजाराम माली बनाम 1. लालीदेवी w/o महराम जाति नि॰ मालून
नि॰ मालून दावा बावत घोषणा व स्था॰ निषे॰ 2. भूरीदेवी w/o गोविन्द नारायण जाति
मुकदमा नं. 118/2010 सन् 3. तहसीलदार दूदू

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत एड॰
व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रामजीलाल शर्मा एड॰
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
अतः वादीया का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख॰न॰ 241 रकबा 8.14 है॰ कुल किता 1 कुल रकबा 8.14 है॰ वाके ग्राम हडूपुरा तहसील दूदू में से वादीया को 5.60 है॰ आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा मालून से प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा प्राप्त किया गया ऋण प्रतिवादी सं॰ 02 की शेष रही भूमि पर भारित होगा।

निज ... मुबलिग ... बाबत ...
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ... फीसदी ...ाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक ... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 4 2012 को
जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (मुहर)

दस्तखत [signature] उपखण्ड अधिकारी
ओहदा दूदू जिला जयपुर

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner